दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 01-07-2025

न्यायिक सेवा केवल नौकरी नहीं, पवित्र उत्तरदायित्व है: सीजे

न्यायिक अकादमी द्वारा नव नियुक्त सिविल जजों के लिए तीन माह का इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि यह एक पवित्र उत्तरदायित्व है। यह बातें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सोमवार को नव नियुक्त सिविल जजों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग की शुरुआत करते हुए कही।

राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा नव नियुक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के लिए तीन माह के प्रथम चरण के इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को हुआ। यह प्रशिक्षण 27 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में अकादमी की अध्यक्ष जस्टिस रजनी दुबे मौजूद रहीं। सीजे सिन्हा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका के उस स्तर पर नियुक्त किया गया है, जहां से आम नागरिक की न्यायिक प्रणाली से पहली बार सीधी भेंट होती है। उन्होंने कहा कि आप न्याय के पहले द्वारपाल हैं, और निचली अदालतों में ही जनता की न्यायपालिका के प्रति धारणा बनती है।

कार्यक्रम में मौजूद सीजे सिन्हा व जस्टिस दुबे।

अन्याय बन सकता है जल्दबाजी में किया गया न्याय

सीजे सिन्हा ने प्रशिक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि यह अवधि केवल अध्ययन की नहीं, बल्कि न्यायिक मूल्यों को आत्मसात करने की है। सतत अध्ययन, समय की पाबंदी, आचार संहिता का पालन और विनम्रता एक अच्छे न्यायाधीश के लिए ये सब आवश्यक गुण हैं। उन्होंने स्मरण कराया कि विलंबित न्याय, अन्याय के समान है, लेकिन जल्दबाजी में किया गया न्याय भी अन्याय बन सकता है।